

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला-बड़वानी (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 48 / 2009
संस्थान दिनांक 24.01.2009

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

अमरसिंह पिता घिस्या, आयु 40 वर्ष,
निवासी-ग्राम पीपरखेड़ा, थाना ठीकरी,
जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 02 / 01 / 2015 को घोषित)

1. अभियुक्त के विरुद्ध थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 288 / 2008 अंतर्गत धारा 279, 337, 304-ए भा.द.सं. एवं धारा 146 / 196, 3 / 181 मोटरयान अधिनियम में दिनांक 29.01.2009 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 02.11.2008 को शाम लगभग 6:00 बजे, ग्राम उमरदा गोया, ए.बी. रोड़ ठीकरी पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09 जे. 5379 को उपेक्षापूर्ण ढंग अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादीगण का मानव जीवन संकटापन्न करने, उक्त वाहन से साईकिल को टक्कर मारी, जिससे मोटरसाईकिल पर सवार रमेश पिता गंगाराम को गिराकर उपहति कारित करने, उक्त वाहन से महेन्द्रसिंग की साईकिल को टक्कर उसकी ऐसी मृत्यु कारित करने, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है, आपने उक्त वाहन को बिना वैध चालन अनुज्ञप्ति के चलाने तथा उक्त वाहन को वैध रूप से बीमित न होना जानते हुए चलाने के संबंध में धारा 279, 337, 304-ए भा.द.सं एवं धारा 3 / 181, 146 / 196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 02.11.2008 को समय शाम 6:00 बजे फरियादी दिग्विजयसिंह व अंतर मोटरसाईकिल से खेत से घर जा रहे थे, जैसे ही ए.बी. रोड़ उमरदा गोय तक आये कि उनके आगे महेन्द्र साईकिल से अपने घर जा रहा था कि ठीकरी से खुरमपुरा की ओर से अभियुक्त अमरसिंह अपनी मोटरसाईकिल को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाये और महेन्द्र की साईकिल को टक्कर मार दी जिससे वह गिर गया और उसके सिर में चोट आकर रक्त निकलने लगा। मोटरसाईकिल चालक अमरसिंह भी मोटरसाईकिल सहित गिर गया। पुलिस ने फरियादी दिग्विजयसिंह द्वारा दी गई सूचना के आधार पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09 जे. 5379 के चालक अमरसिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक 288/2008 अंतर्गत धारा 279, 337 भा0द0सं0 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 2 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी दिग्विजयसिंह की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शामौका पंचनामा प्रदर्शपी 3 बनाया, पुलिस ने फरियादी दिग्विजयसिंह की निशांदाही से साईकिल का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 5 बनाया, पुलिस ने मृतक महेन्द्रसिंह की लाश का पंचायतनामा बनाने हेतु साक्षियों को प्रदर्शपी 14 का सफीना फार्म जारी कर प्रदर्शपी 15 का नक्शा लाश पंचायतनामा बनाया था। पुलिस ने साक्षियों के समक्ष घटनास्थल से वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09 जे. 5379 को जप्त कर प्रदर्शपी 8 का जप्ती पंचनामा बनाया, साक्षियों के अभियुक्त अमरसिंह से वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09 जे. 5379 के दस्तावेजों के तथा अभियुक्त अमरसिंह की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 9 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त अमरसिंह को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 10 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया। अनुसंधान के दौरान ही पुलिस ने फरियादी दिग्विजयसिंह, अंतरसिंह, रमेश, गीरिराज व सुरेन्द्रसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये तथा चिकित्सा के दौरान महेन्द्रसिंह की मृत्यु हो जाने से संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 304—ए भा.द.सं. एवं धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्त अमरसिंह के विरुद्ध धारा 279, 337, 304—ए भा.द.सं. एवं धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.11.2008 को शाम लगभग 6:00 बजे, ग्राम उमरदा गोया, ए.बी. रोड़ ठीकरी पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09 जे. 5379 को उपेक्षापूर्ण ढंग अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादीगण का मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन से को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर साईकिल को टक्कर मारकर रमेश पिता गंगाराम को गिराकर उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर महेन्द्रसिंग की साईकिल को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?
4. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध चालन अनुज्ञप्ति के चलाया ?
5. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को वैध रूप से बीमित न होना जानते हुए चलाया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में रमेश (अ.सा.1), दिग्विजयसिंह चौहान (अ.सा.2), अंतरसिंह (अ.सा.3), नीतिराज (अ.सा.4), सतीश यादव (अ.सा.5), प्रधान आरक्षक शुभनारायण मिश्रा (अ.सा.6), डॉ. आर.एस. मुजाल्दा (अ.सा.7), राजदीप (अ.सा.8) तथा सुरेन्द्रसिंह (अ.सा.9) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 5 के संबंध में

7. प्रकरण में उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी दिग्विजयसिंह (अ.सा.2) का कथन है कि 1 वर्ष पूर्व की बात है वह अपने खेत से आ रहा था उसके साथ मोटरसाईकिल से अंतरसिंह भी था। उस समय महेन्द्रसिंह भी साईकिल से आ रहा था, वह साईकिल से गिरा हुआ था फिर

उसको अस्पताल ठीकरी ले गये, और थाने पर उसने रिपोर्ट लिखाई थी। साक्षी ने प्रदर्शपी 2 की रिपोर्ट एवं नक्शा मौका पंचनामें पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। साक्षी का कथन है कि महेन्द्रसिंह साईकिल से कैसे गिरा उसे नहीं मालूम। वह उपस्थित अभियुक्त अमरसिंह को नहीं जानता है। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अमरसिंह ने तेज गति एवं लापरवाही से मोटरसाईकिल चलाकर महेन्द्र की साईकिल को टक्कर मारी, जिससे वह गिर गया और उसके सिर में चोट लगी थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अंतरसिंह भी मोटरसाईकिल से गिरा था तब उसने मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09 जे. 5379 देखा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रदर्शपी 2 की रिपोर्ट में उक्त बातें बताई थी या प्रदर्शपी 4 के कथन में उक्त बातें बताई थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी स्पष्ट इंकार किया कि वह असत्य कथन कर रहा है।

8. रमेश अ.सा.1 एवं अंतरसिंह अ.सा.3, ने भी महेन्द्रसिंह को साईकिल से रास्ते पर गिरे हुए देखने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि फिर वह तथा दिग्विजयसिंह महेन्द्र को अस्पताल ले गये थे। इस साक्षी को भी पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त ने उसकी मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09 जे. 5379 को उतावलेपन तथा उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर उसकी टक्कर महेन्द्रसिंह को मारी थी, जिससे महेन्द्रसिंह सड़क पर गिर गया था। साक्षी ने प्रदर्शपी 6 के कथन में उक्त बातें पुलिस को बताने से स्पष्ट इंकार किया है।

9. सुरेन्द्रसिंह अ.सा.9 ने वर्ष 2008 में उसके साले महेन्द्रसिंह की मोटरसाईकिल दुर्घटना में मृत्यु होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने प्रदर्शपी 14 के सफीना फार्म तथा प्रदर्शपी 15 के नक्शा लाश पंचायतनामें पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल के नम्बर की कोई जानकारी नहीं है और उसने घटना होते हुए भी नहीं देखी थी।

10. नीतिराज अ.सा.4 ने उसके पिता को दुर्घटना के संबंध में दिनांक 02.11.08 को दिग्विजयसिंह द्वारा फोन पर यह सूचना देने कि अभियुक्त ने उसकी मोटरसाईकिल को तेज गति से चलाकर उसके पिता को टक्कर मार दी थी और उन्हें चोट आई थी। साक्षी का यह भी कथन है कि वह ठीकरी अस्पताल पहुँचा था तब उसके पिता बेहोश थे। उसके पिता को चिकित्सक ने इन्दौर चिकित्सालय भेजा था, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे दिग्विजयसिंह ने घटना के बारे में बताया था। वाहन कौन चला रहा था, उसने नहीं देखा था लेकिन इस साक्षी को घटना बताने वाले दिग्विजयसिंह अ.सा.2 ने भी घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में नीतिराज अ.सा. 4 के कथन से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

11. सतीश यादव अ.सा.5 ने दिनांक 28.12.2008 को थाना ठीकरी के सामने वाहन क्रमांक एम.पी. 09 जे. 5379 का यांत्रिकीय परीक्षण करने पर उसमें कोई खराबी नहीं होना पाई थी। इस साक्षी ने अपनी जाँच रिपोर्ट प्रदर्शपी 7 भी प्रमाणित की है।

12. राजदीप अ.सा.8 ने मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09 जे. 5379 को पुलिस द्वारा जप्त करने और उसका नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 5 का बनाने के संबंध में कथन किये हैं।

13. शुभनारायण मिश्रा अ.सा.6 ने दिनांक 02.11.08 को थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 288/08 की विवेचना के दौरान दिग्विजयसिंह के बताये अनुसार प्रदर्शपी 3 का नक्शा मौका पंचनामा बनाने, हीरो साईकिल का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 5 का बनाने, घटनास्थल से मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09 जे. 5379 को जप्त करने तथा मार्ग क्रमांक 65/08 दर्ज करने, अभियुक्त को गिरफ्तार करने और उससे मोटरसाईकिल के दस्तावेज जप्त करने तथा साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जिस समय वह नक्शा मौका पंचनामा बनाने गया वहाँ अमरसिंह नहीं था, वह ईलाज के लिए बड़वानी अस्पताल में भर्ती था। साक्षी ने स्वीकार किया कि जप्त मोटरसाईकिल नरेन्द्र पिता नत्थुसिंह के नाम से पंजीकृत थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने असत्य विवेचना की है अथवा साक्षियों ने उसे कोई कथन नहीं दिये थे।

14. डॉ. आर.एस. मजाल्दा अ.सा.7 ने दिनांक 02.11.08 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ठीकरी में दिग्विजयसिंह के लाने पर घायल महेन्द्रसिंह का मेडिकल परीक्षण करने पर उसे प्रदर्शपी 12 में दर्शित चोटें होना तथा रमेश पिता गंगाराम का चिकित्सीय परीक्षण करने पर उसे प्रदर्शपी 13 में दर्शित चोटें होना पाने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि महेन्द्रसिंह को आई चोटों के संबंध में उसे ईलाज हेतु इन्दौर भेज दिया था।

15. प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले साक्षी दिग्विजयसिंह अ.सा.2 ने अभियुक्त द्वारा लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतालवेपन से मोटरसाईकिल चलाकर महेन्द्र को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं, यहाँ तक कि साक्षी ने प्रदर्शपी 2 की रिपोर्ट एवं प्रदर्शपी 4 के कथन में उक्त बातें पुलिस को बताने से स्पष्ट इंकार किया है। शेष परीक्षित साक्षियों ने भी इसी प्रकार का कथन करते हुए अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर

मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09 जे. 5379 को लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतालेपन से चलाकर महेन्द्र की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो आपराधिक मानव की श्रेणी में नहीं आती है। यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने अपनी मोटरसाईकिल पर बैठे सवार रमेश पिता गंगाराम को उपहति कारित की या मोटरसाईकिल को बिना चालक अनुज्ञप्ति के और बिना बीमा कराये लोक मार्ग पर चलाया। ऐसी स्थिति में भा.द.स. की धारा 279, 337, 304-ए एवं धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम का अपराध अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता है।

16. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त अमरसिंह के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित पाँचों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त अमरसिंह को संदेह का लाभ देते हुए धारा 279, 337, 304-ए भा.द.स. एवं धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

17. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 09 जे. 5379 को उसके पंजीकृत स्वामी नरेन्द्रसिंह पिता नत्थुसिंह, निवासी- ठीकरी तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी, हाल मुकाम इन्दौर को दी जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

